न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या–5, बरेली।
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 249/2019

वेवी बनाम गिरीश चन्द्र उर्फ बिल्लू आदि
थाना किला, बरेली।

दिनांक 07.06.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थिनी वेवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 मय शपथपत्र विपक्षीगण गिरीश चन्द्र उर्फ बिल्लू आदि के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी अपनी बहन यशोदा सहित अपने पिता की दो संतान है जिनका कोई भाई नही है, पिता के नाम एक मकान करीब 50 वर्ष पुराना पंजाबपुरा गंदा नाला, थाना किला बरेली पर स्थित है, जिसमें प्रार्थिनी ने अपने चाचा बब्बन को देखभाल करने हेतु रख रखा है तथा समय समय पर स्वयं भी आकर रहती है जो कि नगर निगम, बरेली में प्रार्थिनी के पिता स्व0 राम सिंह के नाम से दर्ज है, को करीब 20 वर्ष पहले बतौर करायेदार रहने वाली राजकुमारी पत्नी रामचरन लाल के पुत्र गिरीश चन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र रामचरन लाल जिन्हें इस बात की भली भॉति जानकारी है कि प्रार्थिनी के पिता की दो लड़कियों के सिवा अन्य कोई संतान नही है और दोनों ही लड़कियॉ विवाहित है व अपनी ससुराल में रहती है, इसी बात का फायदा उठाते हुए गिरीश चन्द्र उर्फ बिल्लू ने प्रार्थिनी का उक्त पैतृक मकान धोखाधड़ी कर फर्जी कागजात के द्वारा साजिश के तहत रामाशंकर सक्सेना व ओमप्रकाश राठौर जो कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं, के हाथ दिनांक 20.02.2019 को एक फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया, जो कि उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है तथा अब उक्त दोनों क्रेतागण रामाशंकर और ओमप्रकाश अवैध तरीके से आकर धमकाते व गंदी गंदी गालियॉ देते हैं तथा कहते हैं कि मकान खाली कर दो वरना हम सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगे, चाचा के द्वारा प्रार्थिनी को सूचना दी गयी कि तब से प्रार्थिनी अपने उक्त पैतृक मकान पर निवास कर रही है, जिसके बाद से उक्त दोनों क्रेतागण आये दिन चीता मोबाइल पुलिस और गढ़ी चौकी पर तैनात एक दरोगा जी को लेकर आ धमकते है और जल्दी मकान खाली कराने को धमकाते हैं। दिनांक 27.02.2019 को सुबह करीब 10.30 बजे उक्त दोनों लोग प्रार्थिनी के घर आये और गंदी गंदी गालियॉ दी तथा धमकाया कि मकान खाली कर दो, वरना मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा देंगे जिसके कुछ देर बाद उक्त दोनों पुलिस वालों को लेकर पुनः आ गये जिन्होंने प्रार्थिनी व उसके चाचा बब्बन को गंदी गंदी गालियॉ दी तथा 50–50/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर जबरन मकान खाली कराने के लिए अंगूठे व हस्ताक्षर करवा लिए। प्रार्थिनी बैनामा की छायाप्रति संलग्न कर रही है। अतः प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है।

थाने से आख्या प्राप्त हुई है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों के सम्बंध में प्रार्थिनी को विस्तारपूर्वक जानकारी है और प्रार्थिनी द्वारा स्वयं न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी जॉच स्वयं न्यायालय द्वारा की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। **विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए.सी.सी. 50 इलाहाबाद फुल बैंच, सुखबासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.सी.सी. 739 तथा विधि व्यवस्था सुरेश चन्द्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 571** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए व मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 11.07.2019 का पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या–5, बरेली।